निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

11 आषाढ़ 1942 (श0)

(सं0 पटना 405) पटना, वृहस्पतिवार, 2 जुलाई 2020

विधि विभाग

अधिसूचना

2 जुलाई 2020

सं० एल0जी0-01-12/2020/4025/लेज—भारत–संविधान के अनुच्छेद 213 के खंड–(1) के अधीन बिहार राज्यपाल **दिनांक 2 जुलाई, 2020** को प्रख्यापित निम्नलिखित अध्यादेश इसके द्वारा सर्वसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है ।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
बलराम मंडल,
सरकार के अवर सचिव ।

(बिहार अध्यादेश संख्या-04, 2020)

बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद (संशोधन एवं विधिमान्यकरण) अध्यादेश, 2020

बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम, 2016 में संशोधन हेतु अध्यादेश

प्रस्तावना :–बिहार राज्य में पुलिस थाना और पुलिस चौकी की कुल संख्या 1259 है। बिहार राज्य में 17535 स्वीकृत अवर पुलिस निरीक्षक की संख्या के विरूद्ध 8669 पुलिस अवर निरीक्षक कार्यरत हैं, जिनमें से बिहार पुलिस के केवल 4661 अनुसंधान ईकाई में तथा शेष 4008 पुलिस अवर निरीक्षक विधि व्यवस्था में कार्यरत हैं। अतएव प्रशासनिक आकस्मिकता के कारण पुलिस सहायक अवर निरीक्षक बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम, 2016 के धारा–73 एवं 78 के अन्तर्गत तलाशी, जप्ती और अपराधों के अनुसंधान का कार्य कर रहें हैं। राज्य में मद्यनिषेध से संबंधित काण्डों की अधिकता एवं पुलिस अवर निरीक्षकों की अपर्याप्त संख्या में उपलब्धता के कारण तथा पुलिस सहायक अवर निरीक्षकों को उक्त कार्यो के लिए अधिकृत करने हेतु बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम, 2016 के धारा–73 एवं 78 में भूतलक्षी प्रभाव से संशोधन करना आवश्यक हो गया है।

चूँकि विधानमंडल सत्र में नहीं है और महामहिम राज्यपाल को समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियॉ विद्यमान है, जो शीघ्र कार्रवाई हेतु आवश्यक है।

इसलिए अब भारत–संविधान के अनुच्छेद–213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते है–

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ** ।–(1) यह अध्यादेश बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद (संशोधन एवं विधिमान्यकरण) अध्यादेश–2020 कहा जायेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम, 2016 के प्रभावी होने की तिथि अर्थात 02.10.2016 से प्रभावी समझा जाएगा।

2. **बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा–73 में संशोधन** ।– उक्त अधिनियम की धारा–73 के खण्ड (ड़) में शब्द ''अवर निरीक्षक'' को ''सहायक अवर निरीक्षक'' द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा।

3. **बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा–78 में संशोधन** ।– उक्त अधिनियम की धारा–78 की उपधारा (2) में शब्द ''अवर निरीक्षक'' को ''सहायक अवर निरीक्षक'' द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा।

4. **विधिमान्यकरण** ।– किसी अन्य अधिनियम, अध्यादेश, नियमावली, निर्णय, न्याय निर्णय, डिक्री या न्यायालय के आदेश में कुछ भी प्रतिकूल होते हुए भी इस अधिनियम के प्रावधानों का अभिभावी प्रभाव होगा तथा बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम, 2016 के प्रावधानों के अंतर्गत पुलिस सहायक अवर निरीक्षक के द्वारा किए गए सभी कार्य वैध माने जाएंगे।

पटना — फागू चौहान,
दिनांक 2 जुलाई 2020 — बिहार राज्यपाल।

भारत–संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) के अधीन मैने इस अध्यादेश को प्रख्यापित किया है।

पटना — फागू चौहान,
दिनांक 2 जुलाई 2020 — बिहार राज्यपाल।

---

2 जुलाई 2020

सं० एल0जी0-01-12/2020/4026/लेज—बिहार राज्यपाल द्वारा **dated-2nd July, 2020** को प्रख्यापित बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद (संशोधन एवं विधिमान्यकरण) अध्यादेश–2020 **(बिहार अध्यादेश संख्या-04, 2020)** का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा ।

[Bihar Ordinance No. 04, 2020]

The Bihar Prohibition and Excise (Amendment and Validation) Ordinance, 2020

AN

ORDINANCE

Ordinance to amend the Bihar Prohibition and Excise Act, 2016:

Preamble– Whereas, the total number of Police Station & Police outpost in Bihar is 1259, the total number of approved strength of Sub-Inspectors of Police in the State of Bihar is 17535 against which the working strength of Sub- Inspectors of Police is 8669, out of which 4661 only are working in investigation wing of the Police Department and rest 4008 Sub-Inspectors are working for law and order. Therefore, the Assistant Sub- Inspectors of Police, due to administrative exigencies, have also been conducting search, seizure and investigation of the offences under Sections 73 and 78 of the Bihar Prohibition and Excise Act, 2016. Due to excessive number of cases of prohibition and the lesser availability of required number of Sub-Inspectors of Police in the State and to empower Assistant Sub-Inspectors of Police for such acts, it become necessary to amend Sections 73 and 78 of the Bihar Prohibition and Excise Act, 2016 retrospectively.

Whereas the Legislature is not in session and the Governor is satisfied that circumstances exist which render it necessary for him to take immediate Action;

Now, therefore, in exercise of powers conferred under clause (1) of article 213 of the Constitution of India, the Governor is pleased to promulgate the following Ordinance:-

1. ***Short title, extent and commencement.—***

(1) This Ordinance may be called the Bihar Prohibition and Excise (Amendment and Validation) Ordinance, 2020

(2) It shall extend to whole of the State of Bihar.

(3) It shall deemed to have come into force from the date of commencement of Bihar Prohibition and Excise Act, 2016 i.e. from 02.10.2016

2. ***Amendment to Section-73 of the Bihar Prohibition and Excise Act, 2016.—***The words "Sub-Inspector" under Clause (e) of Section-73 of said Act shall be substituted by "Assistant Sub-Inspector".

3. ***Amendment to Section-78 of the Bihar Prohibition and Excise Act, 2016.—***The words "Sub-Inspector" under sub section (2) of section-78 of said Act shall be substituted by "Assistant Sub-Inspector".

4. ***Validation.—***Notwithstanding anything contained contrary in any other Act, Ordinances, Rules or decision or judgment, decree or order of any Court of Law, the provisions of this Act shall have overriding effect and all acts done according to the provisions of Bihar Prohibition and Excise Act, 2016 by Assistant Sub- inspectors of Police shall be deemed to be valid.

Patna
Dated 2nd July 2020

Phagu Chauhan,
Governor of Bihar.

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
बलराम मंडल,
सरकार के अवर सचिव ।

———

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 405-571+400-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in